न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,

पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र
आर.ए.एस.

.सं. 36 / 2005
ीसीएमएस : 2005 / 00007

1. लालचन्द्र पिसर मुतवाना नानूदेवी जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. धर्मपाल
3. राकेशकुमार

पुत्रगण श्री बद्रीप्रसाद जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)। —:प्रार्थीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. सहायक अभियन्ता जल संसाधन गंगनहर प्रथम खण्ड रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—:अप्रार्थीगण

तारीख रजू:— 12.07.2005

उपस्थित:

1. श्री कृष्णलाल लदोईया अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री राजपेरोकार सरकार अप्राथीगण।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट,</u>

——निर्णय—— दिनांक : 12.02.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम से यानि प्रार्थी लालचन्द्र की माता नानू बेवा रामकरण के नाम चक 42 एनपी तहसील रायसिंहनगर का पुराना मुरब्बा नं. 29 नया 35 पं.नं. पं.नं. 223 / 316 के कि.नं 18 / 2 में .114 है., 21 ता 25 सालम—सालम कुल 1.379 है. नहरी बारानी तथा मुरब्बा नं. पुराना 42 नया 51 पं.नं. 222 / 318 के कि.नं. 7—8—9 सालम—सालम, 10 में .228है., 11 में .228है., 12 ता 17 सालम—सालम, 18 में .190ळे. , 19 में .101 है., 20 में .025 है. 24 में .025 है., 25 में .063है., कुल 12.08 बीघा कुल 3.137 है. बारानी में 1 / 2 हिस्सा तथा 1 / 2 हिस्सा गंगा बैवा रामरख के नाम से खातेदारी भूमि थी। प्रार्थी सं. 2 व 3 ने मु. गंगा बैवा रामरख से उनका 1 / 2 हिस्सा जरिये बैयनामा खरीद कर लिया जिसके अनुसार गंगा बैवा रामरख के 1 / 2 हिस्सा का बहैसियत खरीददार इन्तकाल प्रार्थी सं. 2 व 3 के नाम से इन्तकाल दर्ज हो गया व प्रार्थी लालचंद की माता नानू बैवा रामकरण, के देहान्त के बाद उनके 1 / 2 हिस्सा का इन्तकाल प्रार्थी लालचन्द्र के नाम से दर्ज हो गया। सन् 1977 में राजस्व विभाग को सैटल करने के लिए तहसील रायसिंहनगर का तमाम रिकार्ड भू. प्रबन्धक विभाग के सुपुर्द कि गया जिसमें कच 42 एनपी का रिकार्ड भी उनके सुपुर्द किया गया। लेकिन सैटलमेट विभाग द्वारा जो जमाबंदी तैयार की गई उसमें मु.नं. पुराना 42 नया 51 के कि.नं. 16 सालम, 17 सालम, 18 में 15 बिस्वा, 19 मे 8 बिस्वा, 20 में 2 बिस्वा, 24 में 2 बिस्वा, 25 में 5 बिस्वा, की बजाय कि.नं. 16 में .228 है. 17 में .202है., 18 में .152है., 19 में .063ळेत्र 20 में .025है. अंकित किया गया है तथा कि.नं. 16 मे 2 बिस्वा , 17 में 4 बिस्वा, 18 में 3 बिस्वा, 19 में .039 है., 24 में .025 है. व 25 में 5 बिस्वा कम दर्ज किया गया है जबकि प्रार्थीयान का रकबा कि.नं. 16 सालम, 17 सालम, 18 में 15 बिस्वा, 19 में 8 बिस्वा, 20 में 2 बिस्वा, 24 में 2 बिस्वा, 25 में 5 बिस्वा रकबा है इस प्रकार भू0 प्रबन्धक विभाग द्वारा प्रार्थीगण के मुरब्बा नं. पुराना 42 नया 51 के कि.नं. 16 में 2 बिस्वा, 17 में 4 बिस्वा, 18 में 3 बिस्वा, 19 में 3 बिस्वा, 24 में 2 बिस्वा और 25 में 5 बिस्व लुप्त कर दिये गये है। प्रार्थीयान द्वारा ना तो अपने इन किलाजात का रकबा किसी प्रयोजनार्थ हेतु दिया गया है तथा ना ही राज्य सरकार द्वारा प्रार्थीयान के इन किलाजात का आवप्त किया है। प्रार्थीयान द्वारा अप्रार्थी से कई बार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने के लिए निवेदन किया लेकिन उन्होने आज तक कोई सुनवाई नहीं की है तथा राजस्व अभियान में भी जमाबन्दी को दुरूस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किए लेकिन उसके बावजूद आज तक इस राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त नहीं किया गया। वर्तमान जमाबन्दी में यह रकबा कम अंकन होन के कारण प्रार्थीयान के अधिकारों

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:43:44 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

हनन हो रहा है इसलिए प्रार्थीयान राजस्व रिकार्ड में इस हुई त्रूटि को दुरूस्त करवाने के र्ण रूप से अधिकारी है। प्रथमदृष्टया तो प्रार्थीयान द्वारा किसी प्रयोजनार्थ हेतु अपना रकबा ही दिया गया है तथा ना ही प्रार्थीयान को इस कम हुए रकबा के बदले में कोई राज्य रकार द्वारा कोई मुआवजा दिया गया है इसलिए भी प्रार्थीयान राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाने के पात्र है। प्रार्थना पत्र धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जा रहा है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है तथ अन्दर मियाद एवं उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 42 एन.पी. के चालू जमाबंदी संवत 2060–63 के खाता संख्या 25/57 के मुरब्बा नं. 51 पं. नं. 222/318 के कि. नं. 7 ता 9 सालम–सालम, 10,11 प्रत्येक .228है., 12 ता 15 सालम–सालम, 16 में .228 है, 17 में .202 है. 18 में .152है, 19 में .063है, 20 में .025है., लिखा हुआ है के स्थान पर कि.नं. 7 ता 9 सालम–सालम,10 में .228है., 11 में .228है, 12 ता 17 सालम–सालम, 18 में .190है. 19 में .101है., 20 में .025हे. 24 मे .025 हे., 25 में .063 है. दुरूस्ती किया जाकर इसी अनुसार जमाबंदी में अंकन किए जाने का आदेश अप्रार्थी तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को प्रदान किया जावें। विकल्प में प्रार्थीयान यह अनुतोष करते है कि अगर प्रार्थीयान का मुरब्बा नं. 51 के कि.नं. 16 में .025, 17 में .051, 18 मे .039, 19 में .039, 24 में .025, 25 में .063 कुल . 40 हैक्टर किसी सार्वजनिक उदेश्य के लिए आवाप्त किया गया है तो उसका उचित आवजा प्रार्थीयान को दिलाया जावे।

र्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी जपेरोकार ने सरकार की तरफ से नायब तहसीलदार गजसिंहपुर ने जवाब दावा पेश किया। शामिल मिसल किया गया।

हसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/5435 दिनांक 04.12.2024 से क्त प्रकरण के संदर्भ में मौका जांच रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि पटवार हल्का, भू.अभि. रीक्षक भोमपुरा व कनिष्ठ अभियंता जल संसाधन उपखण्ड प्रथम रायसिंहनगर की संयुक्त ांच अनुसार चक 42 एनपी के खाता संख्या 75 पं.नं. 222/318 मु.नं. 51 के कि.नं 7 ता /0.759, 10–11/0.456, 12 ता 15/1.012, 16/.228, 17/.202, 18/.152, 19/.063, /.025 कुल रकबा 2.897 है. बारानी पं.नं. 223/316 मु.नं. 35 का कि.नं. 18/2/0.114 रानी 21/.253 कुल रकबा नहरी 22 ता 25/1.012 बारानी कुल रकबा 1.379 है. नहरी रानी बहक धर्मपाल–राकेशकुमार पि. बद्री हिस्सा प्रत्येक का 1/4 जाति जाट साकिन करी खातेदार के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज है पूर्व जमाबन्दी संवत 2002 सन् 1945–46 मु.नं. 29 के कि.नं. 18/9 बिस्वा, 21 ता 25/5 बीघा कुल रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा तथा मु. 42 के कि.नं. 7 ता 9/3 बीघा, 10/18 बिस्वा, 11/18 बिस्वा, 12 ता 17/6बीघा, /18बिस्वा, 19/8बिस्वा, 20/2बिस्वा, 24/2 बिस्वा, 25/2 बिस्वा, 25/9 बिस्वा कुल कबा 12 बीघा 12 बिस्वा बहक रामकरण वल्द दयाराम हिस्सा 1/2 व गंगा बेवाह रामरख स्सा 1/2 जाति जाट साकिन देह के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज था। मुताबिक मोका मु. 51 की पैमाईश की गई जिसमे 51 के कि.नं. 18–19–20–24–25 में नहर चल रही है चाई विभाग रिकार्ड अनुसार कनिष्ठ अभियंता ने बताया की नहरी विभाग की आरडी 18200 आरडी 19500 तक नहर चौड़ाई 124 फीट है जो कि नहर के मध्य बिन्दू से दांये–बायें फीट है मुताबिक पैमाईश नहर की भूमि पूरी करने क बाद मु.नं. 51 के कि.नं. 16 में 25है.बारानी, 17 में 0.051है बारानी, 18 में 0.038 है. बारानी, 19 में 0.038हे. बारानी, 24 में 25 है. बारानी, व 25 में 0.063 है. बारानी भूमि नहर की भूमि को छोड़कर शेष बची है समे मौके पर प्रार्थी द्वारा फसल काश्त की जा रही है। उक्त शेष बची हुई भूमि के संबंध में र्यालय हाजा के रिकार्ड रूम के रिकार्ड में उपलब्ध भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा बन्दोबस्त के न तैयार किये गये रिकार्ड का गह[illegible] जिसमें निम्न तथ्य सामने । भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा बन्दोबस्त के समय तै[illegible] पर्चा खतोनी संवत 2033 सार चक 42 एनपी के मु.नं. 51 ग[illegible]0/0.228, 11/0.228, ता 15 सालम, 16/0.228, 17/0.2[illegible]0.152, 19[illegible]63, 20/0.025है. बारानी नानू रामकरण 1/2 हिस्सा मु. गंगा बे[illegible] जाट सा. ठाकरी खातेदार हुआ तथा मु.नं. 42 हाल 51 का कि.नं. 16/2 बि[illegible] 17/4 बिस्वा, 18/3 बिस्वा, बिस्वा, 24/2 बिस्वा, 25/1/5 बिस्वा, 25/2/4 बिस्वा खतौनी संख्या 56 में गै. मु.

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:43:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंह[illegible]

AnyScanner

नहर दर्ज रिकार्ड किया गया। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार मिसल बन्दोबस्त संवत 2033 में भी मु.नं. 51 हाल गत 42 के कि.नं. 16/0.228, 17/0.202, 18/0.152, 19/0.063, 20/0.025, बारानी मु.नानू बगेरहा तथा कि.नं. 16/.025, 17/.051, 18/.038, 19/.038, 24/.025, 25/1/.063, 25/2/.051 गै.मु. नहर दर्ज किया गया। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार मिसल बन्दोबस्त संवत 2037–2047 खाता सं. 26 में भी मु.नं. 51 के कि.नं. 7–8–9 सालम, 10/0.228, 11/.228, 12 ता 15 सालम, 16/.228, 17/0.202, 18/0.152, 19/0.063, 20/.025 मु. नानू बेवा रामकरण 1/2 हि. मु. गंगा बेवा रामरख 1/2 हिस्सा कौम जाट साकिन ठाकरी खातेदार दर्ज है तथा मिसल बंदोबस्त चक 42 एनपी के पृष्ठ सं. 84 राजस्थान सरकार के खाते में सिंचाई विभाग माईनर के नाम 9.106है. नहरी दर्ज रिकार्ड है। उक्त राजस्व रिकार्ड अनुसार ही उक्त रकबा दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड में बंदोबस्त से लेकर आज तक कोइ लिपकीय त्रुटि नहीं हुई है अतः प्रकरण धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत नहीं आता है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर का अध्ययन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है किभू. प्रबन्ध विभाग द्वारा बन्दोबस्त के समय तैयार की गई पर्चा खतोनी संवत 2033 अनुसार चक 42 एनपी के मु.नं. 51 गत 42 मे कि.नं. 7 ता 9 सालम 10/0.228, 11/0.228, 12 ता 15 सालम, 16/0.228, 17/0.202, 18/0.152, 19/0.063, 20/0.025है. बारानी नानू बेवा रामकरण 1/2 हिस्सा मु. गंगा बेवा रामरख 1/2 हिस्सा कौम जाट सा. ठाकरी खातेदार दर्ज हुआ तथा मु.नं. 42 हाल 51 का कि.नं. 16/2बिस्वा, 17/4बिस्वा, 18/3बिस्वा, 19/3बिस्वा, 24/2बिस्वा, 25/1/5 बिस्वा, 25/2/4बिस्वा खतौनी संख्या 56 में गै. मु. नहर दर्ज रिकार्ड किया गया। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार मिसल बन्दोबस्त संवत 2037–2047 खाता सं. 26 में भी मु.नं. 51 के कि.नं. 7–8–9 सालम, 10/0.228, 11/.228, 12 ता 15 सालम, 16/.228, 17/0.202, 18/0.152, 19/0.063, 20/.025 मु. नानू बेवा रामकरण 1/2 हि. मु. गंगा बेवा रामरख 1/2 हिस्सा कौम जाट साकिन ठाकरी खातेदार दर्ज है तथा मिसल बंदोबस्त चक 42 एनपी के पृष्ठ सं. 84 राजस्थान सरकार के खाते में सिंचाई विभाग माईनर के नाम 9.106है. नहरी दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपनी तथ्यात्मका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है राजस्व रिकार्ड में बंदोबंस्त से लेकर आज तक कोई लिपकीय त्रुटि नहीं हुई है उक्त प्रकरण धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत नहीं आता है भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार बन्दोबस्त संवत 2033, संवत 2037–2047 के अनुसार व तहसीलदार रायसिंहनगर व कनिष्ठ अभियंता जल संसाधन उपखण्ड प्रथम की पैमाईश के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार /खारिज किया जाना उचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136–राजस्व भू अधिनियम 1956 अस्वीकार/खारिज किया जाता है पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

आज दिनांक 12.02.2025 को मेरे द्वारा खुले इजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:43:44 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner